MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(254) ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/2015–16 जयपुर, दिनांक 10 अगस्त, 2016

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषयः– ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले सडक निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने बाबत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सम्पादित कराये जाने निर्माण कार्यो में सडक निर्माण यथा– ग्रेवल सडक, इन्टरलॉकिंग टाईल सडक एवं सीमेन्ट सडक कार्यो की गुणवत्ता, कार्य संपादन के दौरान ही सुनिश्चित की जा सकती है। कार्य संपादन के उपरान्त कम गुणवत्ता के सम्पादित उक्त कार्यो की गुणवत्ता का सुधार किये जाने का कोई यथोचित विकल्प नहीं रहता है अर्थात् यदि उक्तानुसार सडक निर्माण के कार्य निर्धारित गुणवत्ता स्तर तक सम्पादित नहीं हो पाते है तो उनकी उपादेयता/उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती।

पंचायती राज संस्थाओं के पास सीमित तकनीकी स्टॉफ/संसाधन की उपलब्धता को देखते हुए कार्य संपादन के दौरान उनके सघन पर्यवेक्षण की अपेक्षा की संभावना कम है। ऐसी परिस्थितियों में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कार्यो के संपादन के दौरान ही लिए गये सेम्पल आदि की जॉच सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित परीक्षण दरों (पत्र क्रमांक एफ 27(41) ग्रावि/ग्रुप–5/क्यूसी/2015–16 दिनांक 08.02.2016) पर गुणवत्ता की जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग/सरकारी, गैर सरकारी तकनीकी संस्थान की प्रयोगशालाओं में करवाकर अपेक्षित सुधार/मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सकता है। कार्यों के गुणवत्तापूर्ण व समय पर निष्पादन बाबत् स्वीकृत निर्माण कार्यो में लागत राशि की (2 प्रतिशत) कन्टीजेन्सी मद में प्रावधित राशि से अनुमत गतिविधियों में गुणवत्ता नियन्त्रण अनुमत है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न मंदों के साथ कार्यों के सम्पादन के दौरान गुणवत्ता परीक्षण हेतु लिये गये सेम्पलस् का टेस्ट का व्यय वहन किया जा सकता है।

अतः सडक निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार तकनीकी परीक्षण कराकर ही कार्य सम्पादन कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे :–

1. **ग्रेवल सडकः–** ग्रेवल सडक निर्माण कार्यो में ग्रेवल बिछाने से पूर्व आपूर्ति की गई ग्रेवल का प्लास्टिसिटी इन्डेक्स (पीआई 6 से कम) निर्धारित स्तर की है या नहीं, सुनिश्चित करने हेतु पीआई टेस्टिंग कराकर रिपोर्ट के उपरान्त ही, ग्रेवल बिछाने की अनुमति दी जावे।

D:\jay\letter to district\Letter.docx

P.T.O.

2. **इन्टरलॉकिंग टाईल सडकः–** इन्टरलॉकिंग टाईल सडक निर्माण कार्यो में टाईल आपूर्ति के समय रेन्डम बेस टाईल की क्षमता (M:30) हेतु आईएस कोड– 15658 के बिन्दु संख्या– 8 के प्रावधान अनुसार सेम्पल लेकर कम्प्रेसिंव टेस्ट कराकर ही उपयोग में ली जावे। यहां यह वांछनीय है कि आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति की गई सभी टाईलों की निर्धारित गुणवत्ता का प्रमाण–पत्र लिया जावे, जिससे टाईलों की गुणवत्ता में आपूर्तिकर्ता की भागीदारी हो सके।

3. **सीमेन्ट सडकः–** सीमेन्ट सडक निर्माण के दौरान प्रतिदिन निर्मित की जा रही सीमेन्ट सडक के कम से कम 6 क्यूब टेस्टिंग हेतु लिये जावे। कार्य पूर्ण होने के बाद निर्धारित 28 दिवस के उपरान्त हर 250 मीटर पर एक कोरकटर टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर कार्य का उपयोगिता प्रमाण–पत्र/पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जावे।

4. **ईट खरंजा सडकः–** ईट खरंजा सडक निर्माण कार्यो में ईटों की आपूर्ति के समय रेन्डम बेस ईट की क्षमता हेतु सेम्पल लेकर कम्प्रेसिंव स्ट्रेन्थ आदि टेस्ट कराकर ही उपयोग में ली जावे। यहां यह वांछनीय है कि आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति की गई सभी टाईलों की निर्धारित गुणवत्ता का प्रमाण–पत्र लिया जावे, जिससे टाईलों की गुणवत्ता में आपूर्तिकर्ता की भागीदारी हो सके।

उक्त सम्बन्ध में कार्यकारी संस्थाओं एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय अभियंताओं से उक्तानुसार पालना कराई जाकर सडक निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे।

9.8.2016

(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रावि एवं पंरावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाधी नरेगा, ग्रामीण विकास ।
6. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. परि. निदेशक एवं पदेन उपसचिव (एसएपी/मो. एवं मू.),ग्रामीण विकास को बेव–साईट पर अपलोड करने हेतु।
9. अधिशाषी अभियंता (अभि.)/नरेगा, जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
11. गार्ड फाईल।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

D:\jav\letter to district\Letter.docx